भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – *279

दिनांक **13.08.2026** को उत्तर दिए जाने के लिए

तीसरा भारत–ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन

***279 श्री सुजीत कुमार:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रक्षा और सुरक्षा सहयोग संबंधी भारत–ऑस्ट्रेलिया संयुक्त घोषणापत्र के मुख्य निष्कर्षों सहित भारत–ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों और सहमति ज्ञापनों (एमओयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की वार्ताओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा महत्वपूर्ण खनिजों एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और अंतर–संचालनीयता बढ़ाने संबंधी उपायों सहित इंडिया–ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर के अंतर्गत क्या प्रमुख पहल की गई हैं; और

(घ) रक्षा के क्षेत्र में विस्तारित भागीदारी सहित, शिखर सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन हेतु अनुवर्ती तंत्र और रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"तीसरा भारत–ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन" के संबंध में दिनांक 13.08.2026 के श्री सुजीत कुमार के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 08–10 जुलाई 2026 के दौरान प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के समय जिन मुख्य परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया, वे इस प्रकार हैं:

- ऑस्ट्रेलिया–भारत परमाणु सहयोग करार को आगे बढ़ाते हुए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया, जिससे भारत को ऑस्ट्रेलिया से लंबे समय तक यूरेनियम का निर्यात संभव हो सकेगा।

- प्रौद्योगिकी सहयोग के स्तर पर, दोनों पक्षकार साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं (पीएसीटीएस) के संबंध में आस्ट्रेलिया–भारत भागीदारी पर सहमत हुए ताकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुदृढ़ता और रक्षा अनुसंधान के संबंध में हमारे संबंधों के स्तर को बढ़ाया जा सके।

- शिक्षा और कौशल सहयोग के क्षेत्र में, दोनों पक्षकारों ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई),भुवनेश्वर में खनन के संबंध में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एलओआई प्राप्त हुआ।

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र के निष्कर्षों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संबंध में संयुक्त घोषणा, समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और समुद्री सीमा कमान और भारतीय तटरक्षक बल के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाना शामिल है।
 (तीसरे भारत–आस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख करार और समझौता ज्ञापन अनुबंध क के रूप में संलग्न हैं)

2. रक्षा और सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा (जेडीडीएससी) सुरक्षा के संबंध में मौजूदा संयुक्त घोषणा (2009) का नवीनीकरण करती है। जेडीडीएससी एक खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दोनों पक्षकार व्यापक रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, रणनीतिक वार्ता को घनिष्ठ बनाने, इस क्षेत्र में आतंकवादी खतरों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ाने और अन्य बातों के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) में सहयोग का विस्तार करने का लक्ष्य रखते हैं।

3. तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने और दोनों देशों को समृद्ध बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी करार (सीईसीए) को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक आपूर्ति और ऑफटेक व्यवस्था को सुरक्षित करने और प्रसंस्करण और मूल्य–संवर्धन क्षमताओं के विकास के विकास को सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक और निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भागीदारी के महत्व को भी स्वीकार किया।

4. दोनों देशों ने नए क्षेत्रों में रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहयोग का विस्तार करने के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, दोनों पक्षकार 'साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संबंध में आस्ट्रेलिया–भारत साझेदारी' (पीएसीटीएस) के रक्षा अनुसंधान सहयोग स्तंभ के तहत अपने संबंधित रक्षा नवाचार और स्टाट–अप तंत्र के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें व्यापार–से–व्यापार संपर्क भी शामिल है।

5. विस्तारित रक्षा साझेदारी सहित शिखर सम्मेलन के परिणामों की प्रगति को दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से उठाया जाएगा।

अनुबंध क

क्र.सं.	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण
1	रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संबंध में संयुक्त घोषणा (जेडीडीएससी)	सुरक्षा के संबंध में मौजूदा संयुक्त घोषणा (2009) का नवीनीकरण करता है। यह बलों की अंतरसंचालनीयता, क्षमता निर्माण, समुद्री क्षेत्र, रक्षा औद्योगिक सहयोग, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी, आतंकवाद–रोध, एचएडीआर और यूएनसीएलओएस, आसियान, पीआईएफ, आईओआरए में एकीकृत दृष्टिकोण को सहयोग के क्षेत्रों के रूप में चिह्नित करता है।
2	समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप (एमएससीआर)	सूचना साझाकरण, क्षमता विकास और परिचालन समन्वय को बढ़ावा देकर समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाता है।
3	भारत–आस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में संयुक्त वक्तव्य	भू–राजनीतिक तनावों के मद्देनज़र ऊर्जा सुरक्षा के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4	भारत–आस्ट्रेलिया सिविल परमाणु करार की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देना	2014 में हस्ताक्षरित भारत–आस्ट्रेलिया सिविल परमाणु करार को कार्यान्वित करता है और ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति को सक्षम बनाता है।
5	साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, आपूर्ति श्रंखला (पीएसीटीएस) के लिए आस्ट्रेलिया–भारत साझेदारी	साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग के संबंध में 2020 रूपरेखा संबंधी व्यवस्था पर आधारित है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा का सहयोग करना, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुदृढ़ता में सहयोग को मजबूत बनाना है।
6	भारत–ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप	इसका प्रयोजन भारत में उच्च–कार्य निष्पादन खेल केन्द्र की स्थापना करना और उन्हें चालू करने को बढ़ावा देना है। यह ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े खेल आयोजनों के लिए अनुभव साझा करने को बढ़ावा देगा और पैरा–स्पोर्ट्स को एक मुख्य प्राथमिकता के तौर पर पहचान देगा।

7	भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री सीमा कमांड (एमबीसी) के बीच समझौता ज्ञापन	आईसीजी और एमबीसी के बीच समुद्री कानून प्रवर्तन, कार्यक्षेत्र संबंधी जागरूकता और समुद्री सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करता है
8	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और तकनीकी और आगे की शिक्षा (टीएएफई), पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच खनन और खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं (एमईटीएस) में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई), भुवनेश्वर में खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी ताकि खनन संचालन, खान सुरक्षा, खनिज प्रसंस्करण, खनन मशीनरी आदि के उप कार्यक्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जा सके। यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और टीएएफई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच छात्रों/प्रशिक्षुओं के आदान–प्रदान को सक्षम बनाएगा।
9	भारत (बेंगलुरु) में अपना परिसर स्थापित करने के लिए फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय को आशय पत्र (एलओआई) सौंपना	बेंगलुरु में फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना को सक्षम बनाता है।
10	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी (एएसक्यूए) के बीच आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) में गुणवत्ता आश्वासन के महत्व को स्वीकार करता है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों में नियामक ढांचे को मजबूत करेगा, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक मानकों का संरेखण, और अधिकारियों की क्षमता निर्माण, कर्मचारियों के आदान–प्रदान, संयुक्त कार्यों को सक्षम बनाएगा।
11	आस्ट्रेलिया–कनाडा–भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसीआईटीआई) साझेदारी के तहत समझौता ज्ञापन	ऑस्ट्रेलिया–कनाडा–भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसीआईटीआई) साझेदारी के तहत उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने का लक्ष्य
12	जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया (जीए) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के बीच समझौता ज्ञापन	2015 में हस्ताक्षरित वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर आधारित है। इसका उद्देश्य उन्नत अन्वेषण पद्धतियों को अपनाना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास और जीएसआई बुनियादी ढांचे के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को सक्षम बनाना है।

13	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और आईपी ऑस्ट्रेलिया के बीच पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पहुंच संबंधी करार	यह आईपी ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है।
14	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और मेलबर्न विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन	भविष्य में सहयोग के लिए दोनों संस्थानों के बीच संबंध स्थापित करता है जिसमें दवा लक्ष्य पहचान, प्रशिक्षु कार्यक्रमों और संकाय विनिमय कार्यक्रमों की दिशा में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं।
15	सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता और ग्रिफिथ फिल्म स्कूल, साउथ ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन।	संयुक्त शैक्षणिक क्रियाकलापों और कार्यशालाओं, सिनेमा और संबद्ध क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के विकास, और लघु अवधि की कार्यशालाओं, या ग्रीष्मकालीन स्कूलों के लिए सहयोग सहित सहयोग के लिए लचीली और मुक्त संरचना स्थापित करना।
16	विक्टोरिया विश्वविद्यालय को अनुमोदन पत्र सौंपना	विक्टोरिया विश्वविद्यालय को गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति प्रदान करता है।
